

राजेश वर्मा  
अधीक्षण अभियन्ता

अ0शा0प0 <sup>655</sup> /अनिमं-5 /सिनिक-15/सि0स0स0/1429

आयता संख्या...761..... / क0क0सि0वि0  
दिनांक...31/3/21...लखनऊ

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता  
अनुसंधान एवं नियोजन मंडल-5  
सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ  
लखनऊ : दिनांक: 28 फरवरी, 2022

विषय:- रबी-1429 फसली वर्ष 2021-2022 में सिल्ट सफाई सत्यापन के संबंध में ।

- सन्दर्भ:- 1. शासनादेश संख्या-960/ 12-27-सिं-4-46 (डब्लू)/12, दिनांक 08 मई 2012  
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय का ज्ञाप संख्या 492, दिनांक 11.11.2021  
3. मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं मूल्यां0) का पत्रांक 629, दिनांक 24.01.2021

महोदय,

अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय के कार्यालय ज्ञाप का संज्ञान लेनाचाहे जिसके द्वारा आपको रबी 1429 फसली वर्ष 2021-22 में नहरों की सिल्ट सफाई के स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन हेतु गठित दो सदस्यीय टीम का अध्यक्ष नामित किया गया है। सत्यापन टीम द्वारा की गयी आख्या समयबद्ध एवं अनिवार्य है। उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप में दिये गये निर्देशों 01 से 21 तक अनुपालन किया जाना अति आवश्यक है।

आपको बिन्दु सं0-6 के द्वारा अपनी-अपनी सत्यापन आख्याएं दिनांक 31.12.2021 तक शासन/इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए ई-मेल पर भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जानी है परन्तु दिनांक 28.02.2022 तक निम्नलिखित टीमों के अध्यक्षों द्वारा सत्यापन आख्याएं इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है जो निम्नानुसार है:-

सर्वश्री			
1	अधी0 अभियन्ता, एकादशम मंडल सिंचाई कार्य, अयोध्या। (अध्यक्ष टीम-20, अष्टदशम मंडल सिंचाई कार्य, प्रयागराज हेतु)	2	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, (परि0 एवं शोध), का0प्र0अ0, लखनऊ। (अध्यक्ष टीम सं0-25, सिंचाई निर्माण मंडल, महोबा हेतु)
3	अधीक्षण अभियन्ता, विधान सभा प्रकोष्ठ, का0प्र0अ0, लखनऊ। (अध्यक्ष टीम सं0-36, गुण नियंत्रण मंडल, अयोध्या हेतु)		

अतः आपसे पुनः निवेदन है प्रत्येक दशा में अपनी-अपनी सत्यापन आख्या कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें साथ ही साथ silt.safai@gmail.com पर ई-मेल भी कर दे ताकि सूचनाएं संकलित कर मा0 मंत्री जी को प्रस्तुत की जा सके।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)

पत्रांक एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)/(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त संबंधित मुख्य अभियन्ता स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं मूल्यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित है कि कार्यालय ज्ञाप को विभागीय वेबसाइट [www.idup.gov.in](http://www.idup.gov.in) पर अनिवार्य रूप से शीघ्रतिशीघ्र अपलोड कराने की कृपा करें।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

(राजेश वर्मा)

अधीक्षण अभियन्ता